

(राजस्थान-सरकार)

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, बारों (राज.)

पीठासीन अधिकारी दिवांशु शर्मा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :- 04 / 2025

पंजीकरण सं. :- 2025 / 66

बउनवान

राज0 सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारों(राज.)

(प्रार्थी)

बनाम

श्री देवराज पुत्र श्री कैलाश नारायण जाति प्रजापति निवासी जैन मंदिर की गली, अटरू जिला बारों (राज.) (विक्रेता) मैसर्स जय माता दी किराना स्टोर, खेडलीगंज चौराहा, अटरू जिला बारों (राज.)

(अप्रार्थी)

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(ii)/51 एफएसएस एक्ट 2006 रूल्स, 2011

उपस्थिति :- 1- अनुपस्थित खा.सु.अ.

(प्रार्थी)

2- स्वयं उपस्थित

(अप्रार्थी)



निर्णय दिनांक 26.08.2025

प्रकरण राजस्थान सरकार जयें श्री मोजीलाल कुंभकार, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारों द्वारा इस आशय का पेश किया कि आवेदक तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री संदीप कुमार दिनांक 31.01.2025 को मैसर्स जय माता दी किराना स्टोर, खेडलीगंज चौराहा, अटरू जिला बारों (राज.) पर पहुंचा। वहाँ पर श्री देवराज पुत्र श्री कैलाश नारायण प्रजापति (विक्रेता) की हैसियत से उपस्थित था, कि उपस्थिति में निरीक्षण किया गया।

तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री संदीप कुमार कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारों में खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कार्य संपादन कर रहा था और इन्हे राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना दिनांक के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी अधिकृत किया गया था। राजस्थान राज पत्र 01.10.2024 की अधिसूचना संख्या प.5(01)चिस्वा/गुप-3/2023 दिनांक 27.09.2024 के द्वारा मुझे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 (34 ऑफ 2006) कर धारा 38 में निहित प्रावधानों के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कार्य संपादन करने हेतु अधिकृत किया गया था जिसमें क्रम संख्या 4 पर तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री संदीप कुमार का नाम अंकित है। श्रीमान् आयुक्तालय खाद्य सुरक्षा जयपुर के आदेश क्रमांक आयुक्त/खासुऔनि/संस्था/2024/2098 दि. 08.10.2024 के द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तियां प्रदान की गई जिसमें क्रम सं. 4 पर तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री संदीप कुमार का नाम अंकित है। श्रीमान् आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण राजस्थान जयपुर के आदेश क्रमांक एफ/खासुऔनि/ संस्था/2025/101 दि. 15.01.2025 से कार्यक्षेत्र जिला बारों आवंटित किया गया।

यह कि आवेदक द्वारा निरीक्षण किया जहाँ पर खाद्य पदार्थ **घी(श्री सरस) 200 एमएल** के डिब्बों में कुल 24 किग्रा. घी पैकेट में आम जनता को विक्रय हेतु रखा हुआ था। मैंने अपना परिचय पत्र दिखाकर परिचय दिया एवं विक्रेता से परिचय लिया। विक्रेता से मौके पर खाद्य पदार्थ **घी(श्री सरस) 200 एमएल** में मिलावट का शक होने पर नमूना लेने हेतु विक्रेता को अवगत कराया गया तत्पश्चात नमूना वास्ते जांच हेतु लेने की सूचना फार्म नं0 5ए की प्रति स्वतंत्र गवाह की उपस्थिति में तैयार कर विक्रेता को देकर प्राप्ति रसीद ली जिसकी प्रति आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, बारों द्वारा खाद्य पदार्थ **घी (श्री सरस) 200 एमएल** के 04 डिब्बे कुल 800 एमएल घी वास्ते नमूना जांच हेतु खरीदा जिसकी कीमत श्री देवराज पुत्र श्री कैलाश नारायण प्रजापति (विक्रेता) को 400/- रुपये (अक्षरे चार सौ रुपये) नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर हैं तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये जिसकी प्रति आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक ने खरीदशुदा खाद्य पदार्थ **घी (श्री सरस) 200 एमएल** को मूल ही  भाग पर लेबल तैयार कर चिपकाये और लेबलों पर डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक ए.एच.-2155 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं मालिक तथा गवाहान के हस्ताक्षर कराये। चारों नमूना भागों को अलग-अलग  में लपेट कर प्रत्येक नमूना भाग पर डी.ओ. बारों की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं. ए.एच.-2155 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से ऊपर तक फेविकोल से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे एवं सीलबन्द नमूनों पर गवाह के हस्ताक्षर कराकर नमूने का पूर्ण विवरण लिखकर मेरे द्वारा हस्ताक्षर कर चारों नमूना भागों को अपने जापत्तें में लिया।

आवेदक ने मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा, जिसे श्री देवराज पुत्र श्री कैलाश नारायण प्रजापति (विक्रेता) ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये।

आवेदक ने कार्यालय पहुंच कर फार्म नं. 6 की प्रतियाँ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक कोटा को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। दो फार्म नं0 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपड़ी से सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक, कोटा को जमा कराकर रसीद प्राप्त की। जो आवेदन के साथ संलग्न है। शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं0 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग डी.ओ. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, कोटा को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारां के पत्र क्रमांक/एफएसएसए/2025/50 दिनांक 14.05.2025 से ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या LS/45/PHLK/Act/2025/45 दिनांक 14.02.2025 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच हेतु विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ **घी (श्री सरस) 200 एमएल** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 रूल्स, 2011 की धारा 3(1)(Zx) के तहत **अवमानक (Substandard)** होना पाया गया।

इस पर प्रकरण दिनांक 26.08.2025 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर, अप्रार्थी को जर्ने रजिस्टर्ड सम्मन से तलब किया गया। अप्रार्थी द्वारा स्वयं उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली किया जाकर प्रकरण में एकपक्षीय अंतिम बहस सुनी गई।

राज. सरकार जरिये प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी, बारां ने परिवाद में अंकित किया है कि अप्रार्थी द्वारा जिस खाद्य पदार्थ **घी (श्री सरस) 200 एमएल** को वास्ते नमूना जांच हेतु विक्रय किया गया था, वह खाद्य विश्लेषक कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या LS/45/PHLK/Act/2025/45 दिनांक 14.02.2025 के अनुसार, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 रूल्स, 2011 की धारा 3(1)(zx) के तहत **अवमानक(Substandard)** होना पाया गया। अप्रार्थी का उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 रूल्स 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(11) के तहत अपराध की श्रेणी में आता है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 रूल्स, 2011 की धारा 51 में निर्धारित है। अतः अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

अप्रार्थी के द्वारा दौराने बहस प्रस्तुत जवाब के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया गया कि मेरे एक छोटी-सी किराने की दुकान है जिस पर मैं किराने का सामान बेचकर अपना व अपने परिवार का पालन-पोषण करता चला आ रहा हूं। मैं एक गरीब आदमी हूं। इस दुकान के अलावा मेरे पास रोजगार का कोई अन्य साधन नहीं है। अतः मेरे विरुद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत परिवाद खारिज किया जावे।

प्रकरण में अप्रार्थी की एकपक्षीय अंतिम बहस सुनी गई और पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया गया। प्रकरण में अप्रार्थी से वास्ते नमूना जांच हेतु क्य किया गया खाद्य पदार्थ **घी (श्री सरस) 200 एमएल** खाद्य विश्लेषक कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या LS/45/PHLK/Act/2025/45 दिनांक 14.02.2025 से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 रूल्स, 2011 की धारा 3(1)(zx) के तहत **अवमानक(Substandard)** होना पाया गया। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 रूल्स, 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(11) के तहत अपराध की श्रेणी में आता है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 रूल्स, 2011 की धारा 51 के तहत अप्रार्थी को कुल जुर्माना राशि 50,000/- रुपये (अक्षरे पचास हजार रुपये) के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है। अप्रार्थी उक्त जुर्माना राशि ई-मित्र सेवा केन्द्र से चालान निकलवाकर, जरिये चालान बैंक में निर्धारित मद **0210 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04 लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, 03 खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा पत्र शुल्क** आदि में जमा करवाकर, चालान की प्रति इस न्यायालय में अन्दर एक माह प्रस्तुत करे।

निर्णय आज दिनांक **26.08.2025** को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिवांशु शर्मा)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट,
बारां (राज.)